



क्रमांक : प () जरारासंविवि/शैक्ष./20/1766

दिनांक : 29/8/2020

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों (योग के अतिरिक्त) को निर्देशित किया जाता है कि विकास अनुदान राशि का प्रस्ताव सत्र समाप्ति के पश्चात् आगामी अधिकतम छः माह में विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें। निर्धारित अवधि में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क्रमांक : प () जरारासंविवि/शैक्ष./20/1767-69

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदया, जरारासंविवि, जयपुर
2. सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय.....

3. प्रभारी वेबसाइट, जरारासंविवि, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।

29/8/20
कुलसचिव 0/8/20
दिनांक : 29/8/20

29/8/20
कुलसचिव 0/8/20